पोषण आहार (योजना)

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रो में पोषण आहार की व्यवस्था - प्रदेश में संचालित 453 बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कुल 80160 आंगनवाडी केन्द्र एवं 12070 मिनी आंगनवाडी केन्द्रो में स्वीकृत है । उक्त स्वीकृत आंगनवाडिओं में लगभग 88000 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है। आंगनवाडी केन्द्रो में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीन मापदंड अनुसार राज्य सरकार द्वारा आंगनवाडी केन्द्रो में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं,अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान किया गया हैं।

हितग्राही	01.08.2013 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	6.00 रु प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15 ग्राम	500
अतिकम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	9.00 रु प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800
गर्भवती माता,धात्री माता एवं किशोरी बालिका	7.00 रु प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600

(1) 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों/गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं :-

वर्तमान में प्रदेश में संचालित आंगनवाडी केन्द्रो में नवीन व्यवस्था के अनुसार ०६ माह से ०३ वर्ष तक के बच्चों/गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को एम.पी. एग्रो के माध्यम से निम्नानुसार खाध सामग्री अलग-अलग दिवसों मे दी जा रही है।

क्रं.	खाधान्न का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
1	2	3	4	5	6

1	गेहूं सोया बर्फ़ी (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री माताऐं/किशोरी बालिकाऐं	150 ग्राम	18.47	631.80
2	आटा बेसन लड्डू (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री माताऐं/किशोरी बालिकाऐं	150 ग्राम	18.14	626.93
3	हलुआ (प्रिमिक्स)	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.28	503.04
4	बाल आहार (प्रिमिक्स)	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	14.61	500.11
5	खिचड़ी	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	20.44	500.75
		गर्भवती/धात्री माताऐं/किशोरी बालिकाऐं	150 ग्राम	24.53	600.90

(2) 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे :-

ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं मे ०३ वर्ष से ०६ वर्ष तक के बच्चों कों सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिये जाने का प्रावधान हैं।

दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	प्रोटिन (ग्राम)	कैलोरी
	रेसिपी	रेसिपी		
सोमवार	पौष्टिक खिचड़ी	रोटी-सब्जी-तुअर दाल	12.15	500
मंगलवार	थुली (मीठी नमकीन)	खीर-पुडी-मूँगबड़ी-आलू टमाटर सब्जी		
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी-चने की दाल-मिक्स सब्जी		
गुरुवार	मीठी लाप्सी	चावल पुलाव - पकोड़े वाली कढ़ी		
शुक्रवार	थुली (मीठी नमकीन)	रोटी -मूँगदाल- हरे या सूखे मटर की सब्जी		
शनिवार	पौष्टिक खिचडी	पराठा-सीजनेबल हरी सब्जी-मिक्स दाल		

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं मे ०३ वर्ष से ०६ वर्ष तक के बच्चों कों स्थानीय स्व सहायता समूह, के माध्यम से सांझा चूल्हा कार्यक्रम के मीनू के अनुरूप ही पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान हैं।

(3) 06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील :-

०६ माह से ०६ वर्ष तक के आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों कों थर्ड मील के रूप में सोमवार,बुधवार,एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार,गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता के मेनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान हैं।

(4) सबला योजना (किशोरी बालिका) :-

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित 15 जिले (बैतूल, भोपाल, राजगढ, भिण्ड, श्योपुर, इन्दौर, बालाघाट, जबलपुर, रीवा, सीधी, दमोह, सागर, टीकमगढ, झाबुआ एवं नीमचद्ध में सबला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सबला योजना अंतर्गत आंगनवाडी केन्द्रो में 11 से 14 वर्ष तक की शालात्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

क्रं.	खाधान्न का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
1	2	3	4	5	6
1	गेहूं सोया बर्फ़ी (प्रिमिक्स)	किशोरी बालिकाऐं	150 ग्राम	18.47	631.80
2	खिचडी	किशोरी बालिकाऐं	150 ग्राम	24.53	600.90

आंगनवाडी केन्द्रो में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से ५० प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा गेहूं आधारित पूरक पोषण आहार अंतर्गत बी.पी.एल. दर पर गेहूं / चावल का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त उक्त खाधान्न का पुर्नआवंटन एम.पी.एग्रो एवं नागरिक आपूर्ति निगम को आंगनवाडी केन्द्रो में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु किया जाता है।